

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 294/2025

हरिसिंह पुत्र सुरजाराम, जाति माली, निवासी झीलों की ढाणी, कासिमपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
—अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला झुंझुनूं।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 11.12.2023 द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हरिसिंह, मु.नं. 20/2023 अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.10.2025

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, झुंझुनूं के आदेश दिनांक 11.12.2023 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलान्त की ओर से अपील निम्नलिखित आधारों सहित सेवामे पेश है कि अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 11.12.2023 विरुद्ध, कानून व पत्रावली है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य पर गौर न कर विवादित भूमि से अपीलान्त को बेदखल करने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है। विवादित भूमि पर 150 वर्गगज का पट्टा अपीलान्त के हक में ग्राम पंचायत कासिमपुरा द्वारा दिनांक 26.12.1975 को अपीलान्त के हक में जारी किया हुआ है उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने उक्त कानूनी तथ्यों पर गौर न कर अपीलान्त को बेदखल करने का आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। उक्त भूमि ग्राम कासिमपुरा की किस्म वास्तविक रूप से आबादी भूमि के रूप से तस्दीक हो चुकी है। अपीलान्त के परिवार का कब्जा सन् 1975 से चला आ रहा है। अपीलान्त ने भूमि खसरा नं. 141 में रिहायशी मकान बना रखे हैं, उसमें बिजली पानी का कनेक्शन ले रखा है। अपीलान्त के हक में सन 1975 में 150 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया हुआ है। अपीलान्त को परिवार अपने पट्टे शुदा भूमि पर ही काबिज है जो अपने बाप दादा के समय से ही चला आ रहा है। अपीलान्त का परिवार उक्त जगह पर काफी वर्षों से रह रहा है इसलिए अपीलान्त का प्रकरण नियमन की तारीफ में आता है। अपीलान्त का प्रकरण अतिक्रमी की तारीफ में नहीं आता है। अपीलान्त के केश में मैरिट है। अपीलान्त को समरी प्रोसिडिंग के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है। उक्त कानूनी बिन्दु पर अदालत मातहत ने गौर न कर अपीलान्त को बेदखल करने में भूल कानूनी की है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह दर्ज किया है कि पट्टे में भूमि खसरा नं. अंकित नहीं हैं जबकि अपीलान्त अपनी पट्टाशुदा 150 वर्गगज पर आबाद है। उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर न कर निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। अपीलान्त के पास अन्य कोई रिहायशी भूमि नहीं है। उक्त भूमि में अपीलान्त में मकानात बना रखे हैं जो रिहायश के काम में लेता है तथा अपीलान्त लैण्ड लेस व्यक्ति है जिसके हक में भूमि को नियमन किये जाने में कोई स्पष्ट रुकावट नहीं है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। अपीलान्त ने अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 11.12.2023 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में S.B. Civil writ petition no. 19072/2024 पेश की जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.09.2025 के द्वारा अपीलान्त को नकल मिलने के

जिला कलक्टर झुंझुनूं

एक सप्ताह के अन्दर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं के यहां अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है अपीलान्त को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16.09.2025 को प्राप्त हुई। नकल मिलने के रोज से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्त पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अदालत मातहत दिनांक 11.12.2023 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।


बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य पर गौर न कर विवादित भूमि से अपीलान्त को बेदखल करने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है। विवादित भूमि पर 150 वर्गगज का पट्टा अपीलान्त के हक में ग्राम पंचायत कासिमपुरा द्वारा दिनांक 26.12.1975 को अपीलान्त के हक में जारी किया हुआ है उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने उक्त कानूनी तथ्यों पर गौर न कर अपीलान्त को बेदखल करने का आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। उक्त भूमि ग्राम कासिमपुरा की किस्म वास्तविक रूप से आबादी भूमि के रूप से तस्दीक हो चुकी है। अपीलान्त के परिवार का कब्जा सन् 1975 से चला आ रहा है। अपीलान्त ने भूमि खसरा नं. 141 में रिहायशी मकान बना रखे हैं, उसमें बिजली पानी का कनेक्शन ले रखा है। अपीलान्त के हक में सन 1975 में 150 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया हुआ है। अपीलान्त को परिवार अपने पट्टे शुदा भूमि पर ही काबिज है जो अपने बाप दादा के समय से ही चला आ रहा है। अपीलान्त का परिवार उक्त जगह पर काफी वर्षों से रह रहा है इसलिए अपीलान्त का प्रकरण नियमन की तारीफ में आता है। अपीलान्त का प्रकरण अतिक्रमी की तारीफ में नहीं आता है। अपीलान्त के केश में मैरिट है। अपीलान्त को समरी प्रोसिडिंग के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है। उक्त कानूनी बिन्दु पर अदालत मातहत ने गौर न कर अपीलान्त को बेदखल करने में भूल कानूनी की है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह दर्ज किया है कि पट्टे में भूमि खसरा नं. अंकित नहीं हैं जबकि अपीलान्त अपनी पट्टाशुदा 150 वर्गगज पर आबाद है। उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर न कर निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। अपीलान्त के पास अन्य कोई रिहायशी भूमि नहीं है। उक्त भूमि में अपीलान्त में मकानात बना रखे हैं जो रिहायश के काम में लेता है तथा अपीलान्त लैण्ड लेस व्यक्ति है जिसके हक में भूमि को नियमन किये जाने में कोई स्पष्ट रुकावट नहीं है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। अपीलान्त ने अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 11.12.2023 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में S.B. Civil writ petition no. 19072/2024 पेश की जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.09.2025 के द्वारा अपीलान्त को नकल मिलने के एक सप्ताह के अन्दर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं के यहां अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है अपीलान्त को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16.09.2025 को प्राप्त हुई। नकल मिलने के रोज से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अदालत मातहत दिनांक 11.12.2023 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त ने गैर मुमकीन चारागाह की भूमि पर पक्का आवास बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्त ने गैर मुमकीन चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्त का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्त की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्त की अपील खारिज फरमाई जावे।


जिला कलक्टर झुंझुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम झीलो की ढाणी स्थित भूमि ख0न0 141 रकबा 2.87 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह मे से 0.02 है0 भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज का पट्टा दिनांक 26.12.1975 को जारी किया गया था। अपीलान्ट अपने पट्टेशुदा भूमि पर काबिज काश्त है, जिसकी जांच अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये जाने अर्थात् पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते हुये किया जाना चाहिए। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 11.12.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका देकर तथा अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे पट्टे की जांच करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुझुनूं
जिला कलक्टर झुझुनूं